Programme for development of Forests in accordance with the National Forest Policy of 1988. Under this programme, twenty-five year perspective plan and short term action plans will be prepared with full involvement of the State Governments.

Problem of Environment and Ecology in the mining areas

595. SHRI SUNIL BASU RAY: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the problem of Environment and Ecology in the mining areas including coal;

(b) if so, what adverse effects they are causing; and

(c) what is the action programme of Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) and (b) Yes, Sir. The main environmental and ecological problems encountered in the mining areas, including coal mines, are:

— Land degradation and subsidence, due to mining and fires;

— Water Pollution including acid mine drainage;

— Noise Pollution;

— Atmospheric pollution;

— Impact on health of workers; and

— Involuntary displacement of population.

(c) The action-programme for controlling adverse impacts includes:

— Impact Assessment of mining projects;

— Fire control in coal mines;

— Rehabilitation of mined areas concurrently with mining operations;

— Effective Implementation of Environmental Management Plans.

मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए जलाशय

596. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री 18 दिसम्बर, 1991 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 2801 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पटपरा जलाशय में जल भंडारण की स्वीकृति देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार पर कुछ शर्तें लगाई थीं जिनमें एक शर्त यह भी थी कि डूब क्षेत्र में आने वाली संभावित 43.3 हैक्टेयर वन भूमि के बदले में राज्य सरकार 130 हैक्टेयर भूमि वन रोपण के उद्देश्य के लिए निर्धारित करे और मध्य प्रदेश सरकार वन रोपण के लिए 20 हजार रुपए प्रति हैक्टेयर की दर से 26 लाख रुपए का भुगतान करे;

(ख) क्या यह सच नहीं है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उक्त शर्त को पूरा कर दिए जाने के बावजूद उसे पटपरा जलाशय में जल भंडारण की स्वीकृति अभी तक नहीं दी गई है;

(ग) अनुमति न दिये जाने के और कौन-कौन से कारण हैं; और

(घ) क्या यह भी सच नहीं है कि पटपरा जलाशय के अतिरिक्त मध्य प्रदेश में 163 अन्य जलाशयों को अनुमति देने पर भी रोक लगा दी गई है इन जलाशयों में जल संग्रहण के लिए कब तक अनुमति दे दी जायेगी और उन्हें अनुमति न दिये जाने के क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (ग) मध्य प्रदेश राज्य सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत पटपरा टैंक परियोजना के लिए 43.3 है०